

रेल दावा अधिकरण (प्रधान पीठ)

13/15 माल रोड

दिल्ली-54

सं0 आरसीटी/दिल्ली/आउट सोर्सिंग स्टेनो/2016

दिनांक 30.08.2019

रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ दिल्ली में अंग्रेजी के आशुलिपिक के पदों को अस्थाई रूप से एक नियत अवधि के लिए रेलवे बोर्ड(रेल मंत्रालय) के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार संविदा पर भरने हेतु नीचे दर्शाई गई तारीख समय एवं स्थान पर वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाएगा ।

स्थान	दिनांक	रिपोर्टिंग का समय
रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ 13/15 माल रोड दिल्ली-54	17.09.2019	11.30 बजे

इच्छुक आवेदनकर्ता इस साक्षात्कार से संबंधित शर्तों व निबंधनों की विस्तृत जानकारी के लिए आरसीटी की वेबसाइट www.rct.indianrail.gov.in एवम उत्तर रेलवे वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर देखें ।

अपर रजिस्ट्रार

रेल दावा अधिकरण

दिल्ली- 54

मोबाईल नंबर- 9560391676

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली कार्यालय में संविदागत/आउटसोर्सिंग आधार पर आशुलिपिकों की भर्ती के लिए निबंधन एवं शर्तें :-

1. आशुलिपिक के पद के लिए अर्हता एवं अनुभव : किसी भी विषय में स्नातक होने के साथ-साथ कंप्यूटर की समग्र जानकारी सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि में दक्षता, एम एम वर्ड की जानकारी, व्यवहार-कुशल और पारस्परिक कौशल में भी दक्ष हों ।
2. वेतन: 15000/- रूपए प्रति माह/प्रति उम्मीदवार जिसमें जी0एस0टी0 दर और अन्य सांविधिक कटौतियां लागू होंगी (15,000 हजार रूपए प्रति आशुलिपिक प्रति माह की दर से शुद्ध वेतन) या पीठों की लोकेशन के अनुसार भारत की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्नातक कुशल कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो ।
3. रेल दावा अधिकरण में प्रतिदिन 9.30 बजे से 18.00 बजे तक कार्य के आठ घंटे होंगे जिसमें सभी कार्य दिवसों पर 13.30 बजे से 14.00 बजे का आधे घंटे का भोजन अवकाश दिया जाएगा।
4. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के लीक होने पर मुकदमे सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

5. यदि तैनाती/ठेके के आधार पर लिया गया कोई व्यक्ति इयूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से यथा आनुपातिक आधार पर राशि की कटौती की जाएगी। प्रतिदिन की अनुपस्थिति के मामले में कटौती की राशि एकमुश्त राशि का $1/30$ वां भाग होगी।
6. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने का पूर्व नोटिस देने पर यह संविदागत नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. (i) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी तैनाती के लिए निबंधन/शर्तों की स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए या जब तक क्षेत्रीय रेल द्वारा पदों को ना भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तक होगी।
(ii) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था दोनों पक्षकारों की सहमति से और संविदागत आधार पर लिए गए उम्मीदवार/उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन के आधार पर उपर्युक्त (i) के अध्यक्षीन अगले 11 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
8. इस योजना के अंतर्गत तैनात किए गए व्यक्तियों को रेल दावा अधिकरण या रेलवे में कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
9. यदि इस प्रकार ठेके पर लिए गए व्यक्तियों द्वारा किसी उपस्कर अथवा संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि पहुंचाई जाती है, तो उनकी मासिक मजदूरी से इनकी वसूली कर ली जाएगी।

रेल दावा अधिकरण दिल्ली पीठ में आशुलिपिक के पदों को पूर्णतः संविदागत आधार पर भरने के आवेदन पत्र का फार्मेट

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)					
2.	जन्म तिथि					
3.	पिता/ पति का नाम					
	डाक पता					
	स्थायी पता					
	टेलीफोन/मोबाइल नंबर					
	फैक्स नंबर					
	ई मेल आईडी					
	(टेलीफोन, मोबाइल नंबर एवं ई मेल अनिवार्य हैं)					
	वर्तमान व्यवसाय यदि कोई हो					
	शैक्षणिक योग्यता (रिवर्स काल अनुक्रम में)					
	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता	शैक्षणिक उत्कृष्टता	विषयगत विशेषज्ञता

आवेदक के हस्ताक्षर